न्यायालय सिविल जज (एस0डी0),रूड़की जिला हरिद्वार।
मूलवाद संख्या–240/2022
नईम बनाम फरहान

<u>दिनांक 30.08.2024–</u>

पत्रावली कार्यालय से वादी के प्रार्थना पत्र कागज संख्या 30ग2 के आलोक में पेश हुई। वादी मय विद्वान अधिवक्ता श्री विनीत कुमार न्यायालय में उपस्थित आये। वादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र कागज संख्या 30ग2, प्रार्थना पत्र कागज संख्या 31क1, वकालतनामा कागज संख्या 32ग2/1 एवं आधार कार्ड की छायाप्रति कागज संख्या 32ग2/2 पत्रावली पर प्रस्तुत किये गये। शामिल मिसल हों।

वादी द्वारा प्रार्थना पत्र संख्या 30ग2 प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि उपरोक्त वाद में दिनांक 09.09.2024 नियत है। वादी वाद को आगे चलाना नहीं चाहता है तथा वादी अपने वाद को वापस लिये जाने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रहा है। जिस कारण उपरोक्त वाद की पत्रावली पर न्यायालय में तलब किया जाना आवश्यक है। अतः वादी द्वारा उपरोक्त वाद की पत्रावली को तलब कर आज ही निस्तारण किये जाने की प्रार्थना की गई है।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

न्यायालय के मत में उक्त प्रार्थना पत्र के आलोक में उक्त वाद में पत्रावली को नियत तिथि 09.09.2024 से रिकॉल कर दिनांक 30.08.2024 के लिए नियत किया जाता है। उक्त दिनांक सी0आई0एस0 साफ्टवेयर पर अविलम्ब अपडेट की जाये। पत्रावली लंच बाद पेश हो।

(रीतिका सेमवाल)
सिविल जज (एस0डी0),रूड़की,
जिला हरिद्वार।

<u>दिनांक 30.08.2024 लंच बाद–</u>

पत्रावली पेश हुई। वादी मय विद्वान अधिवक्ता श्री विनीत कुमार न्यायालय में उपस्थित आये। वादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मौखिक रूप से उक्त वाद को राष्ट्रीय लोक अदालत में सन्दर्भित किये जाने की प्रार्थना की गई। तद्नुसार पत्रावली को राष्ट्रीय लोक अदालत हेतु सन्दर्भित किया जाता है।

पत्रावली वास्ते निस्तारण दिनांक 14.09.2024 को लोक अदालत बैंच के समक्ष पेश हो।

(रीतिका सेमवाल)
सिविल जज (एस0डी0),रूड़की,
जिला हरिद्वार।